दैनिक

फाईट अगेंस्ट क्रिमिनल

वर्ष : ०८ | अंक:३२१ | मुंबई, शनिवार २६ अप्रैल २०२५ | RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 | पृष्ठ-४ | मूल्य २/रू.

राईस मील में बड़ा हादसा, दम घुटने से 5 मजदूर की मौत, 3 घायल

बहराइच. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक राइस मिल में दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत हो गई जबकि 3 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है. जानकारी के मुताबिक ड्रायर में धुंआ निकलने से यह हादसा हुआ. सभी मृतक बिहार और कन्नौज जिले के रहने वाले हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं.पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने बताया की लालगढ़िया चावल मिल में शुक्रवार सुबह ड्रॉयर में धुंआ निकलने लगा. जैसे ही मजदूर ड्रायर रूम में घुसे तो वे बेहोश हो गए. सभी को तुरंटमेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. तीन अन्य का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट में अगर किसी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. उधर डीएम ने पूरे मामले की जांच एसडीएम को सौंपी है.

ईडी ने जाली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव में 9 स्थानों पर तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई जिलों में जाली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले की जांच के सिलसिले में मालेगांव में नौ स्थानों पर छापेमारी की, जिनका कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा भारतीय पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई शुरू की, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में दर्ज 16 एफआईआर पर आधारित थी। तलाशी मालेगांव तक ही सीमित थी और सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के परिसरों को निशाना बनाया गया, जिनके पास या तो जाली जन्म प्रमाण पत्र थे या उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए नकली मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किए थे, जिसका संभवतः कानूनी या वित्तीय मामलों में दुरुपयोग किया जा सकता था। एजेंसी का मानना है कि ऐसे जाली दस्तावेजों का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और आधिकारिक अभिलेखों में जनता के विश्वास के लिए एक बड़ा खतरा है। ईडी से राज्य पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी जांच जारी रखने की उम्मीद है

क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पालन नहीं करे रहे हैं महायुति के राजनीतिक धर्म का?

अंदरूनी खिंचतान उजागर, एकजुटता से ज्यादा दिखी श्रेय की होड़

■ सईद शेख

मुंबई।जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में महाराष्ट्र के छह नागरिकों की मौत के बाद राज्य सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। लेकिन इस गंभीर समय में भी राज्य की 'महायुति' सरकार के घटक दलों के बीच सामंजस्य की बजाय श्रेय लेने की होड़ और राजनीतिक रस्साकशी ज्यादा नजर आई। पहलगाम हमले के बाद राज्य सरकार ने गिरीश महाजन को आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कश्मीर भेजा था। इसके बावजूद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपने-अपने स्तर पर विमान लेकर वहां पहुंचने का निर्णय लिया। इस समांतर गतिविधि ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महाराष्ट्र में अब समानांतर सरकारें चल रही हैं? समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि जब राज्य सरकार ने एक अधिकृत मंत्री को प्रतिनिधित्व के लिए भेजा था, तब शिंदे और पवार को व्यक्तिगत पहल पर जाने की क्या जरूरत थी? इससे साफ होता है कि 'महायुति' में सामंजस्य की गंभीर कमी है और इस संकट के समय भी दलों के बीच समन्वय नदारद है। एक ओर जहां कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर हमलों से देश में चिंता का माहौल है, वहीं महाराष्ट्र सरकार के घटकों की आपसी खींचतान से राज्य की राजनीतिक छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। यह घटना बताती है कि 'महायुति' सिर्फ नाम की गठबंधन है, जबकि जमीनी स्तर पर अब भी 'मैं पहले' की राजनीति जारी है।

संवेदनशील समय में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

जहां एक ओर केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रीगण इस गंभीर घटना पर एकजुटता दिखाने की बजाय मीडिया में बयानों के जरिए एक-दूसरे पर बढ़त लेने की कोशिश में लगे हैं। शिंदे गुट और पवार गुट दोनों की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय से दूर की खबरें फैलाकर अपनी-अपनी भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

50000 से अधिक पर्यटकों की वापसी

इस बीच, पहलगाम से सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त प्रयास किए। दो विशेष विमानों के जरिए महाराष्ट्र के लगभग 50,000 पर्यटकों को सुरक्षित मुंबई लाया गया। यह राहत कार्य काबिले-तारीफ रहा, परंतु उसे भी राजनीतिक श्रेय की लड़ाई ने फीका कर दिया।

शरद पवार की एनसीपी में छिड़ी सर्जिकल स्ट्राइक

जयंत पाटिल की इस हरकत ने छेड़ी जंग, जल्द छोड़ेंगे साथ!

मुंबईः पहलगाम आतंकी हमले पर्यटकों की नृशंस हत्या की घटना के बाद देश में देश की जनता सरकार से उरी और पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर एक बार फिर बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की अपेक्षा रख रही है। लेकिन शुक्रवार को खबर शरद पवार की एनसीपी में सर्जिकल स्ट्राइक की सामने आई।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के भीतर असंतोष की खबरों के बीच, पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने प्रवक्ताओं के पैनल को भंग करके सभी को सकते में डाल दिया। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (मविआ) के प्रमुख घटक दल एनसीपी-एसपी पार्टी का पक्ष मीडिया के समक्ष रखने के लिए 22 प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे। लेकिन शुक्रवार को सभी 22 प्रवक्ताओं को एक पत्र पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष व विधायक जयंत पाटिल की ओर से भेजा गया। जयंत पाटिल द्वारा भेजे गए पत्र में प्रवक्ताओं के पैनल को भंग किए जाने की सूचना दी गई है। लेकिन इस कदम का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी इकाई का पुनर्गठन किए जाने की वजह से यह कदम उठाया गया होगा।

पार्टी में नाराजगी की चर्चा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एनसीपी-एसपी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में पार्टी को केवल 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से राज्य नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी बढ़ने की अटकलें जोरों पर चल रही हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी के विधायक रोहित पवार और जयंत पाटिल के बीच शीत युद्ध चल रहा है। इसी बीच जयंत पाटिल के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की भी चर्चा जोरो पर है। लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है।

पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी की बहन ने कहा, 'मेरा भाई मुजाहिद्दीन है'

पहलगाम हमले में कथित रूप से शामिल एक आतंकवादी, जिसका घर शुक्रवार सुबह ध्वस्त कर दिया गया था, के परिवार ने उसे 'मुजाहिद्दीन' कहा है। पहलगाम हमले में कथित रूप से शामिल एक आतंकवादी, जिसका घर शुक्रवार सुबह ध्वस्त कर दिया गया था, के परिवार ने उसे 'मुजाहिद्दीन' कहा है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल माने जा रहे लश्कर-ए-तालिबा के दो आतंकियों के घर आज ध्वस्त कर दिए गए। पुलवामा के त्राल में लश्कर आतंकी का एक घर और अनंतनाग में आतंकी आदिल गुरी का दूसरा घर ध्वस्त किया गया। एएनआई से बात करते हुए, त्राल में जिस आतंकवादी का घर ध्वस्त किया गया था, उसकी बहन ने कहा, 'मेरा एक भाई जेल में है, दूसरा भाई 'मुजाहिद्दीन' है, और मेरी दो बहनें भी हैं। कल, जब मैं अपने ससुराल से यहाँ आई, तो मैंने अपने माता-पिता और भाई-बहनों को उनके घर पर नहीं पाया। पुलिस उन सभी को ले गई थी।' पहलगाम आतंकी हमले में शामिल माने जा रहे लश्कर-ए-तालिबा के दो आतंकियों के घर आज ध्वस्त कर दिए गए। पुलवामा के त्राल में लश्कर आतंकी का एक घर और अनंतनाग में आतंकी आदिल गुरी का दूसरा घर ध्वस्त किया गया। जब मैं यहाँ था, सुरक्षा बल आए और मुझे पड़ोसी के घर में चले जाने को कहा। मैंने देखा कि छद्म वर्दी पहने एक व्यक्ति ने घर के ऊपर बम जैसी कोई वस्तु रखी थी। उसके बाद, घर को ध्वस्त कर दिया गया...हम निर्दोष हैं। उन्होंने हमारा घर नष्ट कर दिया है।

एकनाथ शिंदे की शिवसेना का सपना रह जायेगा अधूरा, बाम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की गिरफ्तार पर लगायी रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'देशद्रोही' कहने के मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कामरा ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एस.एम मोदक की पीठ ने यह भी कहा कि अगर पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ करना चाहती है तो उसे चेन्नई में ही ऐसा करना होगा, क्योंकि वह तमिलनाडु के निवासी हैं. अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता (कामरा) को खार पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. जांच जारी रह सकती है. अगर कामरा का बयान दर्ज किया जाना है, तो यह अग्रिम सूचना देने के बाद चेन्नई में किया जा सकता है.'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर कुणाल कामरा की याचिका लंबित रहने के दौरान पुलिस आरोपपत्र दाखिल करती है, तो ट्रायल कोर्ट कॉमेडियन के खिलाफ आगे नहीं बढ़ेगा. 16 अप्रैल को कोर्ट ने कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था. अब इसे स्थायी कर दिया गया है.

कुणाल कामरा के खिलाफ मामला क्या है?

कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड-अप शो 'नया भारत' के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहा था. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म के एक मशहूर गाने की पैरोडी में बिना नाम लिए शिंदे पर निशाना साधा था. उनकी इस टिप्पणी को 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों की उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत से जोड़कर देखा गया था. इस बगावत ने शिवसेना के दो फाड़ कर दिए थे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया था.

इस टिप्पणी से शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कामरा ने प्रस्तुति दी थी. शिवसेना नेता मुराजी पटेल की शिकायत के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान कामरा के वकील अश्विन थूल ने दलील दी कि उनकी टिप्पणी शिवसेना और एनसीपी में विभाजन पर आधारित एक राजनीतिक व्यंग्य मात्र थी. वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज सीरवाई ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें राजनीतिक व्यंग्य करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था. हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कुणाल कामरा की टिप्पणी को महाराष्ट्र की जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को दुर्भावनापूर्ण निशाना बनाने वाला बताया था.

SHABBIR MEMON (DIRECTOR) 9892488825. TEL: 022 6780894

MEMON REALTORS

Builder & Devloper PVT. LTD.

Shop No. 1 to 5, Bldg,. No . 2 Next Ahuja Bulding R.M. Road, Oshiwara, Jogeshwari(W), Mumbai - 400 102. memonshabbir24@gmail.com

संपादकीय

एम.एस.शेख
संपादक

जनता का आक्रोश मुखर, सरकार के लिए खतरे की घंटी

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 से ज्यादा पर्यटकों की हत्या कर दी। कई गंभीर रुप से घायल पर्यटकों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिन पर्यटकों का निधन हुआ था उनके शव देश भर के विभिन्न राज्यों में भेजे गए हैं। जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। घटना के दो से तीन दिन बाद तक मारे गए पर्यटकों का अंतिम संस्कार विभिन्न स्थानों पर हो रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे वहां पर जनता का आक्रोश खुलकर देखने को मिला। गुजरात के शैलेश कलथिया की अंत्येष्टि में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एस आर पाटिल पहुंचे थे। वहां पर उन्हें मृतक की पत्नी के गुस्से का सामना करना पड़ा। जिस तरह का आक्रोश उसने दिखाया है, उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री अवाक होकर रह गए। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात पर भी भड़क गया, कि फोटो खिंचवाने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे थे, जिसके कारण 15 मिनट तक अर्थी को सड़क पर रखना पड़ा। राजस्थान और हरियाणा में भी जब मुख्यमंत्री मृतकों को श्रद्धांजलि देने अंत्येष्टि में पहुंचे तो वहां पर भी उन्हें काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी को लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा है। पहलगाम की घटना में विभिन्न राज्यों के पर्यटकों की मौत हुई है। लगभग सभी स्थानों में जनता की ओर से गुस्से में कहा जा रहा कि यह सरकार का फेलियर है। लाखों जवान जम्मू कश्मीर में तैनात है, उसके बाद भी पर्यटक सुरक्षित नहीं हैं। जिस स्थान पर घटना हुई है वहां एक भी सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं थे। गुजरात की शीतल बैन ने यहां तक कह दिया- जनता के टैक्स के पैसे से नेता हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पर चलते हैं। उनकी सिक्योरिटी में गाड़ियों के काफिले चलते हैं। टैक्स देने वालों की क्या कोई जिंदगी नहीं है। पिछले कई वर्षों से हिंदू-मुसलमान को लेकर भारत में जो शंखनाद हो रहा है। वह चरम पर पहुंचकर अब उसकी गूंज धीरे-धीरे धीमी पड़ती जा रही है। इस बात को भाजपा और संघ को समझना होगा। जहां डबल इंजन की सरकार है उन्हें भी समझना होगा युद्ध के ढोल नगाड़े और शंखनाद कुछ समय के लिए ही प्रभावी साबित होते हैं। यह लोगों में आक्रोश पैदा करते हैं लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उसके बाद इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है।

गैरकानूनी अवैध निर्माण पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकारियों को सरकार की चेतावनी

अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें

अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए उपाय और उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार महीने से अधिक समय बाद, महायुति सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन नियोजन प्राधिकरणों - अर्थात नागरिक और स्थानीय निकायों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाई गई प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करें। राज्य सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को जारी राज्य सरकार का आदेश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मालवन नगर परिषद और नागपुर नगर निगम के नागरिक प्रमुखों को हाल ही में 'अवैध निर्माणों' के खिलाफ किए गए विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

राज्य के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो निर्णयों का उल्लेख है - एक पिछले साल 11 नवंबर को एक रिट याचिका (सं. 295/2022) और एक सिविल अपील (सं. 14604/2024 और 14605/2024) में। जबकि पहला अवैध संरचनाओं के निर्माण को नियंत्रित करने के उपायों से संबंधित है, दूसरा अवैध निर्माणों के विध्वंस से संबंधित है।

अमरावती बंदः आतंक के खिलाफ एकजुट शहर, सन्नाटे में छलका जनआक्रोश

पहलगाम के दर्द को महसूस किया अमरावती ने-स्वयंस्फूर्त बंद बना एकजुट विरोध का प्रतीक

प्रतिनिधि । अमरावती । 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के खिलाफ जनआक्रोश ने आज अमरावती शहर को पूरी तरह थाम दिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के आह्वान पर रखे गए 'अमरावती बंद' को शहरवासियों का पूर्ण समर्थन मिला, जिससे बंद स्वयंस्फूर्त और प्रभावशाली साबित हुआ।

शहर के बाजारों में पसरा सन्नाटा

सुबह से ही अमरावती के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों–राजापेठ, गांधी चौक, श्याम चौक, सराफा बाजार, टांगा पड़ाव से लेकर बडनेरा रोड तक सभी दुकानों पर ताले लटके नजर आए। पानठेले, चाय टपरी और नाश्ते की गाड़ियां भी नदारद रहीं, जिससे आम दिनों की चहल-पहल पूरी तरह गायब थी। केवल मेडिकल और दूध जैसी आवश्यक सेवाओं की दुकानों को ही छूट दी गई थी।

रिहायशी इलाकों से भी मिला व्यापक समर्थन

वस्तुर नगर, यशोदा नगर, प्रशांत नगर, विलास नगर, वडाली और कैम्प परिसर जैसे रिहायशी क्षेत्रों में भी किराना व जनरल स्टोर्स आधे दिन तक बंद रहे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नागरिकों ने दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस आतंकी हमले का एकजुट होकर विरोध किया।

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों ने भी जताया विरोध

चांदनी चौक, पठान चौक और वलगांव रोड जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इन क्षेत्रों के नागरिकों ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक व आक्रोश व्यक्त किया।

बिज़नेस कॉम्प्लेक्स भी रहे ठप

नागपुर रोड स्थित बिझीलैंड, सिटीलैंड और ड्रिम्सलैंड जैसे व्यावसायिक संकुल भी बंद में शामिल रहे। दोपहर 3 बजे तक इन प्रतिष्ठानों के शटर डाउन रहे और व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

फल-सब्जी मंडी भी रही ठप

पुराना कॉटन मार्केट स्थित सब्जी मंडी और फल मंडी दोनों एक साथ बंद रहीं, जिससे यह क्षेत्र भी पूरी तरह सन्नाटे में रहा। गुरुवार का साप्ताहिक अवकाश और शुक्रवार के बंद ने इस मार्केट में दो दिन तक जनसंचार ठप रखा।

सार्वजनिक सेवाएं खुली, पर भीड़ कम

सरकारी कार्यालयों और बैंकों में कार्य सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। आमजनता ने घरों में रहकर इस विरोध को समर्थन दिया।

एकजुट अमरावती ने जताया सशक्त संदेश

पूरे शहर में कहीं से भी जबरन बंद या अव्यवस्था की खबर नहीं आई। अमरावती के नागरिकों ने शांति और अनुशासन के साथ आतंक के विरुद्ध एकता दिखाई और पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की।

किसी भी शरारत का जवाब न दें।

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। वास्तव में, मैंने देखा है कि अपने देशवासियों की तुलना में मुसलमान अधिक संख्या में इसकी निंदा और विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय इस हमले को वर्षों तक याद रखेंगे। पहलगाम से यह भी देखा जा रहा है कि सांप्रदायिक तत्वों को मौका मिल गया है और वे कश्मीरी मुसलमानों के साथ-साथ अन्य मुसलमानों को भी निशाना बना रहे हैं तथा हिंदुओं को भड़का रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कई वीडियो देखे हैं। सच तो यह है कि पहलगाम में हमले के बाद कश्मीरी मुसलमान ही सबसे पहले पीड़ितों की मदद करने वाले थे।

आज देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह की मानसिकता देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी ओर, मैं मुसलमानों से भी अनुरोध करूंगा कि वे किसी सांप्रदायिक आंदोलन का जवाब न दें और धैर्य न खोएं। आतंकवादी हमले के पीछे का एक उद्देश्य देश की शांति और व्यवस्था को बाधित करना तथा नफरत का माहौल पैदा करना हो सकता है। इसके अलावा सांप्रदायिक ताकतें भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहती हैं।

शेख निजामुद्दीन
(महासचिव, एनसीपी मुंबई, शरदचंद्र पवार)

छोटा राजन के करीबी को आरोप मुक्त करने से कोर्ट का इनकार

मुंबई : मकोका कोर्ट ने छोटा राजन के करीबी सहयोगी प्रदीप मडगांवकर (52) को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया है। प्रदीप मडगांवकर पर 2006 में व्यापारियों और बिल्डरों से जबरन वसूली के मामले में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मडगांवकर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि छोटा राजन के गिरोह ने मुखबिर से 10 लाख रुपये की जबरन वसूली की और हत्या की धमकी देकर उससे और अन्य लोगों से 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली करने का प्रयास किया। यह मामला शुरू में दिसंबर 2005 में दर्ज किया गया था। राजन की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच सीबीआई ने की। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मडगांवकर समेत गिरोह ने निवासियों को धमकाया और उन्हें पुनर्विकास परियोजनाओं को अपनी पसंद के डेवलपर्स को सौंपने के लिए मजबूर किया। इसी तरह, आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकाया और उससे जबरन वसूली की। मडगांवकर के बचाव पक्ष के वकील ने आरोप मुक्त करने का तर्क देते हुए कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत या प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। बचाव पक्ष ने परीक्षण पहचान परेड में खामियों सहित प्रक्रियागत खामियों का भी हवाला दिया।

मत लो कियारा की तस्वीर

इंडस्ट्री के क्यूटेस्ट कपल्स में से एक कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं। हाल ही में एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट हुए सिद्धार्थ और कियारा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थ पैपराजी की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों कियारा के साथ एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट हुए कियारा और सिद्धार्थ को कैप्चर करने के लिए पैपराजियो में होड़ मच गई। गाड़ी में कियारा के बैठने के बाद जैसे ही सिद्धार्थ गाड़ी की ओर बढ़े पैप्स गाड़ी को घेर लिया और अंदर बैठी कियारा को कैप्चर करने लगे। यह देख आगबबूला हुए सिद्धार्थ ने तस्वीर लेने से मना करते हुए कहा, 'पीछे हट जाओ। तुम चाहते हो कि मैं अभी नाराज हो जाऊं, अपना बर्ताव ठीक करो।' इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'इसको क्या हो गया अच्छा-खासा तो था, अगला जया बच्चन।' दूसरे ने लिखा, 'सही तो कह रहा है, पैपराजी के नाम पर उसके सिर पर ही चढ़ जा रहे हैं।'

झूमकर नाचे अनुष्का-विराट

अकसर एक-दूसरे पर अपना प्यार लुटाते नजर आनेवाले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस उन पर अपना प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में लोगों के बीच घिरे अनुष्का और विराट कैमरे के सामने कैजुअल कपड़ों में अपनी ही धुन में बिना किसी लय और ताल के नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये डांस अनुष्का और विराट ने दुबई में चल रहे किसी शूट पर किया है। वीडियो में कुछ और लोग भी हैं जो अलग-अलग लुक्स और कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक बड़ा-सा कैमरा भी दिखाई दे रहा है, जिसे देख लगता है मानो कोई शूट चल रहा हो। वीडियो में अनुष्का और विराट के मदमस्त डांस को देख एक यूजर ने लिखा, 'सुपर गुरु।' दूसरे ने लिखा, 'क्या डांस मूव्स है।'

सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' कहने पर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार

वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया, तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें राहुल गांधी ने लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। यह समन दिसंबर 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को लेकर जारी किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने वीर सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' कहा था और आरोप लगाया था कि वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों पर बयान देने से पहले ऐतिहासिक संदर्भ और तथ्यों की जानकारी जरूरी है। न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी पूछा, 'क्या सिर्फ इसलिए महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने पत्रों में 'आपका वफादार सेवक' लिखा था?' कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि इंदिरा गांधी ने भी बतौर प्रधानमंत्री सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। इस पर अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की सही जानकारी के बिना इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह के कोई बयान नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाई, लेकिन सख्त चेतावनी भी दी कि अगली बार कोई भी अनुचित बयान दिया गया तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करते समय नेताओं को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह विषय संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व का है।

अहमदाबाद के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओ ने किया आतंकवाद का विरोध

कश्मीर के पहले गांव में आतंकवाद की जो घटना घटी है इस घटना में 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया थातो अहमदाबाद की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी दाहिने हाथ पर बांधकर पाकिस्तान का विरोध किया

और आतंकवाद को नष्ट नाबूत करने की दुआ मांगी तो आईए जानते हैं अहमदाबाद की जुम्मा मस्जिद के पैसइमाम मुफ्ती शब्बीर आलम साहब और अहमदाबाद के स्थानिक लोगों ने क्या कहा तो आईए जानते हैं

मुंबई पुलिस ने पहली तिमाही में 677 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया, ड्रग से संबंधित मामलों में 404 लोगों को गिरफ्तार किया

मुंबई पुलिस ने इस साल जनवरी से मार्च तक 677 किलोग्राम से ज़्यादा प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया है और शहर में नशीली दवाओं के 348 मामलों में कथित तौर पर शामिल 404 लोगों को गिरफ़्तार किया है। ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कुल कीमत 22.95 करोड़ रुपये है।

आंकड़ों से पता चला है कि शहर में सबसे ज्यादा जब्त किया जाने वाला प्रतिबंधित पदार्थ गांजा है। आंकड़ों से पता चला है कि इस साल की पहली तिमाही में पुलिस ने 664 किलोग्राम गांजा और 7.58 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी से मार्च तक पुलिस ने हेरोइन की जब्ती से जुड़े 18 मामले दर्ज किए, हेरोइन से जुड़े मामलों में 24 लोगों को गिरफ्तार किया और 1.87 करोड़ रुपये की कीमत की 0.64 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। पुलिस ने चरस की जब्ती से जुड़े 07 मामले दर्ज किए, चरस से जुड़े मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 2.86 करोड़ रुपये की कीमत की 4.66 किलोग्राम चरस जब्त की। पुलिस ने गांजा की जब्ती से जुड़े 230 मामले दर्ज किए, गांजा से जुड़े मामलों में 238 लोगों को गिरफ्तार किया और 1.81 करोड़ रुपये की कीमत का 664 किलोग्राम गांजा जब्त किया।

चौंकाने वाली बात! मुंबई के पास विरार में 7 महीने के बच्चे की 21वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई, जब उसकी मां बालकनी में फिसल गई

नेरुल के डीपीएस स्कूल में नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में 25 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार; जांच जारी एनआरआई तटीय पुलिस ने नेरुल के डीपीएस स्कूल के चार वर्षीय बच्चे का यौन शोषण करने के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुजीत दास के रूप में हुई है, जिसे गुरुवार रात को पीड़ित लड़के के माता-पिता द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त (जोन 1) पंकज दहाणे ने कहा, माता-पिता के आरोपों के अनुसार, हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और यह समझने के लिए आगे की जांच कर रहे हैं कि घटना कहां और कब हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, गुरुवार को घर वापस आने के बाद, लड़के ने अपने निजी क्षेत्र में असुविधा की शिकायत की और जब अधिक पूछताछ की गई, तो उसने कहा 'बस अंकल'। तदनुसार, पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि लड़के को हमेशा की तरह स्कूल बस में एक महिला शिक्षिका की मौजूदगी में बस 'आया' द्वारा उठाया गया था और फिर अन्य बच्चों के साथ स्कूल छोड़ दिया गया था। इसी तरह, बच्चे को स्कूल से उठाया गया और वापस घर भी छोड़ा गया। बस ठेकेदार संतोष शेट्टी ने कहा, 'मैंने बस के अंदर से एक सप्ताह के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं, जिसकी गहन जांच की गई है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई। ड्राइवर हमेशा स्टीयरिंग के पीछे ही दिखाई देता है। यह ड्राइवर पिछले चार सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। कुछ गलतफहमी है। बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, साथ ही किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।'

डिजिटल गिरफ्तारी के डर से बैंक में FD जमा कराने पहुंची महिला, अधिकारियों की सतर्कता से धोखाधड़ी टली

मुन्ना मुजावर

पिंपरीः अपराधियों के एक गिरोह ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी और दावा किया कि उसने अपने क्रेडिट कार्ड पर ऋण लिया है और उसे भुगतान करने के लिए कहा। डरी-सहमी महिला जब बैंक पहुंची तो बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूछताछ के बाद धोखाधड़ी के प्रयास का पता चला। यह घटना 28 और 29 अक्टूबर 2024 के बीच सांगवी में घटित हुई।

इस संबंध में 71 वर्षीय महिला ने सांगवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विजय पाटिल, संदीप राव, दीपर्निता मुंशीकर और एक अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला का बेटा विदेश में रहता है और महिला सांगवी में अकेली रहती है। आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता को बुजुर्ग महिला बताया।

आपने अपने क्रेडिट कार्ड से साढ़े तीन लाख का लोन लिया है। बुजुर्ग व्यक्ति को बताया गया कि कर्ज के कारण अदालत में मामला दायर किया गया है। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी बुजुर्ग महिला से फोन पर संपर्क किया। आपके ऋण मामले की जांच चल रही है। मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपी ने वृद्ध महिला को धमकाते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपराध बंद करने के लिए बैंक को पैसे दे दो। इसलिए बूढ़ी औरत डर गई।

आरोपी द्वारा बार-बार फोन करके भुगतान के लिए कहने पर बुजुर्ग महिला बैंक से अपनी सावधि जमा (एफडी) निकालने गई थी। पहले दिन कुछ राशि जमा कर ली गई। इसके बाद बूढ़ी महिला दोबारा पैसे निकालने के लिए बैंक गई। उसे भयभीत अवस्था में देखकर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने उससे पूछताछ की और पूछा कि उसे अचानक जमा राशि निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। वृद्धा ने बताया कि आरोपी ने पैसे की मांग की। बैंक अधिकारियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह एक प्रकार की डिजिटल गिरफ्तारी है। उसे पिंपरी-चिंचवाड़ साइबर पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। साइबर पुलिस ने इसकी जानकारी ली। इसके बाद इस संबंध में सांगवी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश बनसोडे जांच कर रहे हैं।

केंद्र सरकार डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता बढ़ा रही है, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की सराहना कर रही है। इस मामले में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला को आश्वस्त किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में उनकी मदद की। उनकी सतर्कता से धोखाधड़ी टल गयी। इसके अलावा, वृद्ध महिला भी शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची। इसलिए पुलिस ने बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों का सम्मान किया और उनकी प्रशंसा की।

वर्ली में सिटी कॉप के घर डकैती, मंगलसूत्र और 2 मोबाइल चोरी; 2 संदिग्धों की पहचान हुई

शुक्रवार को वर्ली में मुंबई के एक पुलिसकर्मी के घर पर डकैती का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी डेयरी वर्कर्स कॉलोनी में एक पुलिस कांस्टेबल के घर पर हुई। दो स्थानीय युवकों पर घर में घुसकर सोने का मंगलसूत्र और दो मोबाइल फोन समेत कीमती सामान चुराकर भागने का संदेह है, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है।

पीड़ित, 45 वर्षीय प्रमोद विश्वनाथ कांबले, 2010 से नायगांव में सशस्त्र पुलिस शाखा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल हैं। उनके आधिकारिक क्वार्टर में चल रहे मरम्मत कार्य के कारण, कांबले और उनका परिवार वर्तमान में वर्ली में खान अब्दुल गफ्फार खान रोड पर एक अस्थायी सरकारी आवास में रह रहे हैं।

डकैती का विवरण लोकमत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 17 अप्रैल की सुबह हुई। कांबले, उनकी पत्नी, 16 अप्रैल की रात को वाशी में एक पारिवारिक समारोह के लिए निकले थे। परिवार देर रात लौटा और रात करीब 1 बजे सो गया, अपने मोबाइल फोन बगल में रख दिए। कांबले की पत्नी ने अपना सोने का मंगलसूत्र दराज में सुरक्षित रखकर सो गई।

मुंबई साइबर धोखाधड़ीः मुलुंड में फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गंवाए ₹97 लाख; मामला दर्ज

मुलुंड के 59 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट एक परिष्कृत ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले का शिकार हो गए हैं, जिससे

उन्हें कई महीनों में ₹97 लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित से शुरुआत में धोखेबाजों ने व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क किया था, और उन्हें एक फ़र्ज़ी स्टॉक ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने के लिए धोखा दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित को 'प्रैक्टिस प्रूव्स ट्रुथ, आर गारा' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहाँ लगभग 85 सदस्यों ने लाभदायक स्टॉक ट्रेडों के बारे में स्क्रीनशॉट और प्रशंसापत्र साझा किए थे। प्रमुख सदस्यों में से एक, इशानी मेहता ने पीड़ित को व्यक्तिगत ट्रेडिंग सलाह और निवेश युक्तियाँ भेजीं

अगले कुछ महीनों में, पीड़ित ने ऐप पर बड़े वर्चुअल मुनाफ़े को प्रदर्शित होते देखा, जिसके कारण उसने मेहता द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न बैंक खातों में कुल 97 लाख रुपये के नौ ट्रांसफ़र किए। कथित तौर पर यह पैसा शेयर खरीदने और आईपीओ में निवेश करने के लिए था। अक्टूबर 2024 में, प्रशंसापत्र और सलाह से आश्वस्त होकर, पीड़ित ने निवेश करने का फैसला किया। मेहता ने उसे प्ले स्टोर से 'आर गारा' नामक एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया। प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए, पीड़ित ने ऐप पर पंजीकरण किया, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेज़ और यहाँ तक कि अपनी बैंक जानकारी भी प्रदान की।

हालांकि, पीड़ित को तब संदेह हुआ जब मेहता ने उसे बताया कि वह अब बचत खत्म होने के कारण निवेश नहीं कर सकता, लेकिन उसने जवाब देना बंद कर दिया। उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसने अपनी कमाई निकालने की कोशिश की लेकिन पाया कि ऐप अब काम नहीं कर रहा था। आगे की जांच करने पर, उसे पता चला कि पूरा प्लेटफ़ॉर्म एक घोटाला था।

जनवरी से मार्च तक 677 किलोग्राम से ज़्यादा प्रतिबंधित पदार्थ जब्त; 404 लोग गिरफ्तार

मुंबई : पुलिस ने इस साल जनवरी से मार्च तक 677 किलोग्राम से ज़्यादा प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए हैं और शहर में नशीली दवाओं के 348 मामलों में कथित तौर पर शामिल 404 लोगों को गिरफ़्तार किया है। ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कुल कीमत 22.95 करोड़ रुपये है। आँकड़ों से पता चला है कि शहर में सबसे ज़्यादा ज़ब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ गांजा

है। आँकड़ों से पता चला है कि पुलिस ने इस साल की पहली तिमाही में 664 किलोग्राम गांजा और 7.58 किलोग्राम मेफ़ेड्रोन ज़ब्त करने में कामयाबी हासिल की है।

आँकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से मार्च तक पुलिस ने हेरोइन की ज़ब्ती से जुड़े 18 मामले दर्ज किए, हेरोइन से जुड़े मामलों में 24 लोगों को गिरफ़्तार किया और 1.87 करोड़ रुपये की कीमत की 0.64 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। पुलिस ने चरस की जब्ती से संबंधित 07 मामले दर्ज किए हैं, चरस से संबंधित मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2.86 करोड़ रुपये मूल्य की 4.66 किलोग्राम चरस जब्त की है। पुलिस ने गांजा की जब्ती से संबंधित 230 मामले दर्ज किए हैं, गांजा से संबंधित मामलों में 238 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1.81 करोड़ रुपये मूल्य का 664 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।

बोरीवली में बेटे को चाकू से बचाने के दौरान बुजुर्ग महिला घायल; हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी गिरफ्तार

बोरीवली पश्चिम के भीम नगर की 50 वर्षीय महिला बुधवार देर रात अपने बेटे को चाकू से हमले से बचाने की कोशिश करते समय हाथ में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती है। यह हिंसक घटना पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा थी और इसने स्थानीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है।

महिला सुनीता साल्वे ने सहज रूप से यह कदम उठाया जब उसने देखा कि उसके 25 वर्षीय बेटे को उसके पड़ोसी, 28 वर्षीय बस चालक, जो BEST में कार्यरत है, निशाना बना रहा है। आरोपी ने कथित तौर पर युवक से उसकी बहन से बात करने के लिए कहा, जिस पर पहले भी बहस हो चुकी है। मौखिक विवाद चाकू से हमले में बदल गया बोरीवली पुलिस के हवाले से रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी आधी रात से कुछ समय पहले साल्वे के घर पर टकराव की कोशिश में आया था। जैसे ही सुनीता और उसका बेटा बाहर निकले, हमलावर ने कथित तौर पर चाकू निकाला और युवक के पेट में चाकू घोंपने का प्रयास किया। सुनीता ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए खुद को ब्लेड के सामने फेंक दिया और वार को रोकने के लिए अपने नंगे हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया। चाकू उसकी हथेली में घुस गया, जिससे उसकी नस कट गई और भारी रक्तस्राव होने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और सुनीता को नायर अस्पताल पहुंचाया, जहां वह फिलहाल चिकित्सा देखभाल में है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन उसके हाथ में क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत के लिए उसे सर्जरी की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक जांच में दोनों परिवारों के बीच चल रहे तनाव का पता चला, जिसका मुख्य कारण आरोपी द्वारा अपनी बहन के साल्वे के बेटे के साथ बातचीत करने पर आपत्ति जताना था। पुलिस ने हमले से कुछ दिन पहले ही एक हालिया मौखिक विवाद को नोट किया था, जिससे पता चलता है कि गुस्सा उबल रहा था।

नालासोपारा की महिला को ससुराल में किया गया प्रताड़ित, पति और परिजनों पर मामला दर्ज

पालघर। नालासोपारा की रहने वाली 22 वर्षीय महिला अल्फिया कया नुरेआलम शहा ने मिरारोड स्थित अपने ससुराल वालों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने नयानगर पुलिस थाने में दी गई जानकारी में बताया कि उसका विवाह 16 दिसंबर 2022 को ओवेज रफीक शेख (उम्र 32) से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। विवाह के समय उसके माता-पिता ने उसे तीन तोले सोने के गहने – जिसमें एक हार, एक जोड़ी कान के झुमके और एक अंगूठी शामिल थी – तथा ₹50,000 नकद दिए थे। इसके अलावा, गृह उपयोगी वस्तुओं के साथ विवाह का सारा खर्च भी उसके पिता ने उठाया था।

विवाह के बाद पीड़िता अपने पति, सास-ससुर और ननदों के साथ मिरारोड स्थित अंजनी रेजीडेंसी में रहने लगी। आरोप है कि सास, ससुर और ननदों द्वारा उसे रोजमर्रा के घरेलू कार्यों को लेकर गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। महिला ने बताया कि उसका पति भी उसके साथ मारपीट करता था और उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता था। गर्भवती होने के बाद मई 2023 में उसे मायके भेज दिया गया। कई प्रयासों के बाद जब वह फिर ससुराल गई तो एक बार

फिर उसे अपमानित और प्रताड़ित किया गया। 4 नवंबर 2024 को उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी का सारा खर्च भी मायके वालों ने ही उठाया। दो महीने बाद जब वह स्वेच्छा से ससुराल वापस गई, तो पति और अन्य ससुरालजनों ने उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया।

महिला का आरोप है कि 20 अप्रैल 2025 को जब उसने सास-ससुर और ननद को उसके माता-पिता के खिलाफ अपशब्द कहने से रोका, तो पति और ननद यास्मीन शेख ने उसकी पिटाई की और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंची। इसके बाद वह नयानगर पुलिस स्टेशन गई, जहां उसे भाईंदर के टेभा अस्पताल में इलाज करवाने के लिए कहा गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 115(2), 351(2), और 352 के तहत अज्ञात प्राथमिकी क्रमांक 711/2025 दर्ज की है। इसके साथ ही, महिला द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर अर्चना गणपत जाधव को सौंपा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने विवाह में दिए गए तीन तोले सोने के गहनों का अपहरण कर लिया है।

पुणे एनसीपी के शहर अध्यक्ष दीपक भाऊ मानकर , मंगलमुखी किन्नर चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे, और रामुला गुरु इनके मदद से जम्मू-कश्मीर में फस गए तृतीय पंथी को पुणे लाया गया

मुन्ना मुजावर

पुणे, श्रीरामपुर की पिंकी गुरुने बताया किस्सा जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसी दिन हम पहलगाम जा रहे थे. हालाँकि, देर से उठने के कारण हम पहलगाम की बजाय सोनमर्ग चले गए... 5वें सोनमर्ग से ही। शहर जिले से गुजरने वाले तीसरे पक्ष ने बताया कि पता चला कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। एफ ए सी न्यूज से बात करते हुए बताया।

चूंकि सिर्फ देर से उठने की वजह से, हम पहलगाम जा नहीं पाए

शायद इसीलिए हमारी जान बच गई, यह कहते हुए श्रीरामपुर की तीसरी पार्टी पिंकी गुरु ने कहा कि हममें से 6 लोग जम्मू-कश्मीर आए थे। इनमें 4 लोग नगर जिले से और 2 लोग धुले जिले से हैं. उनमें काजल गुरु (नगर), पिंकी गुरु (श्रीरामपुर), कल्याणी (नगर), आशु (नगर), पार्वती गुरु (धुले), साक्षी (धुले) आदि शामिल हैं।

21 तारीख को ये सभी तीसरे पक्ष श्रीनगर आये थे. 21 सोमवार को देर तक सोने के कारण मंगलवार

22 तारीख को वे सभी देर से उठे। नतीजतन, पहलगाम होटल से 50 किमी दूर है। देर होने के कारण सभी ने वहां जाने की बजाय अपना प्लान बदल लिया और सोनमर्ग जाने का फैसला किया. तो शाम को जब वो सोनमर्ग में थे तो उन्हें पता चला कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है. अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें पर्यटक मारे गए। यह सुनकर तीसरे पक्ष के होश उड़ गए। आज गुरुवार सुबह ये सभी तीसरे पक्ष श्रीनगर के ही एक होटल के कमरे में हैं. बाहर कर्फ्यू जैसे हालात हैं. विमान का टिकट नहीं मिलने के कारण ये सभी थर्ड पार्टियां

वहीं फंसी हुई हैं. इसके अलावा, चूंकि भूस्खलन के कारण श्रीनगर-दिल्ली राजमार्ग 8 दिनों के लिए बंद हो गया है, इसलिए वाहन द्वारा श्रीनगर से बाहर निकलना ही एकमात्र विकल्प है। पिंकी गुरु ने उम्मीद जताई कि शायद हम आज विमान से यहां से निकल सकें और उन्होंने कहा कि इसे हम अपनी किस्मत ही कहेंगे कि घटना वाले दिन हम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम देर से उठे.

फिर हम ने तुरंत मंगलमुखी किन्नर चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे से संपर्क किया और रामुला गुरु से बात करी और उनको यहां की स्थिति बताइ उन्होंने हमको आश्वासन दिया क्या आप चिंता मत करिए मैं कुछ करती हूं फिर रामुला गुरु ने दीपक भाऊ मानकर से बात की उनको सब हकीकत बताई दीपकभाऊ मानकर ने वक्त बर्बाद नहीं करते हुवे तुरंत वीडियो कॉल के जरिए हम से बातचीत की और यहां की पूरी जानकारी ली और हमें कहा आप घबराइए नहीं आपको तुरंत पूना लाया जाएगा दीपक भाऊ मानकर ने नगर विमानन राज्य मंत्री एवं पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल से संपर्क करके हमें विशेष उड़ानों से महाराष्ट्र . में लाया गया पिंकी गुरु ने कहा कि हम सब से पहले हमारे गुरु रुमाला गुरु का धन्यवाद करते हैं आज उनके वजह से हम पुणे सही सलामत पहुंच गए उनकी मंगलमुखी किन्नर चैरिटेबल ट्रस्ट और दीपकभाऊ मानकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पुणे शहर, निर्जला गायकवाड राष्ट्रवादी पार्टी पुणे शहर किन्नर अध्यक्ष इनका भी हम धन्यवाद करते हैं

आशिका ताई, कादंबरी ताई, मोनिका ताई,प्रेरणा ताई, काजल ताई, लाची ताई, इन सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं आज इन सभी लोगों के कृपा से हम सही सलामत अपने घर पहुंचे और जो हमला हुआ उसका हम निषेध करते हैं

कुश्ती मैदान में मामूली विवाद को लेकर मारपीट और हमला करने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुन्ना मुजावर

पुणेः वर्तमान में गांव-गांव यात्राएं शुरू हो गई हैं। गांव के वार्षिक उत्सव के तहत कुश्ती अखाड़े का आयोजन किया जा रहा है, और हवेली तालुका के बर्क गांव में एक घटना घटी, जहां अखाड़े में कौन बैठेगा, इस विवाद में चार लोगों की लाठियों और पत्थरों से पिटाई कर दी गई। इस मामले में लोनीकंद पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में शंकर ठोंबरे (उम्र 38), सुनील ठोंबरे (उम्र 40), सुनील जांभलकर (उम्र 42), संतोष जांभलकर (उम्र 37), सागर जांभलकर (उम्र 27), विशाल जांभलकर (उम्र 29), गणेश जांभलकर (उम्र 35, सभी निवासी बुरकेगांव, नगर रोड, ताल. हवेली, जिला पुणे) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संतोष महादु पावले (उम्र 49, निवासी बुरकेगांव) ने इस संबंध में लोणीकंद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम को यात्रा के दौरान बर्क गांव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। शाम के समय कुछ लोग कुश्ती देखने के लिए अखाड़े के पास बैठे थे। उस समय अखाड़े के पास बैठने को लेकर अभिजीत बाजारे और शंकर

थोम्ब्रे के बीच बहस हो गई। बहस के दौरान थोम्ब्रे और जम्बालकर ने अभिजीत बाजारे, संदीप थोरात, सौरभ बाजारे और अभिषेक गायकवाड़ की लात-घूसों और डंडों से पिटाई कर दी। आरोपियों ने उन पर पत्थर फेंके। कुश्ती के मैदान में झगड़ा शुरू होने के बाद अफरातफरी मच गई। पुलिस ने इस मामले में भीड़ द्वारा हमला करने और मारपीट का मामला दर्ज किया है। सहायक निरीक्षक वंजारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरजेराव कुंभार के मार्गदर्शन में जांच कर रहे हैं।

शादी का झांसा देकर एक युवती को पांच लाख में कोठे पर बेचा, कोठा संचालक व एक पुलिस अधिकारी पर मामला दर्ज

मुन्ना मुजावर

पुणेः असम की एक युवती को शादी का झांसा देकर बुधवार पेठ के एक वेश्यालय में पांच लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में फरासखाना

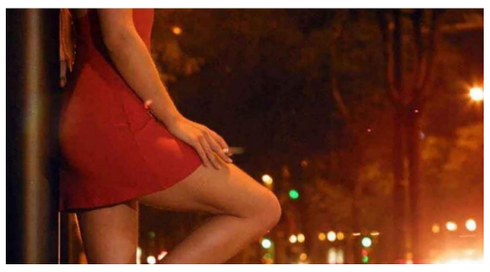

पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसकी शिकायत के आधार पर अज्ञात पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

इस संबंध में 25 वर्षीय महिला ने फरासखाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के अनुसार, शफीउल अबुल नसूर वहीद आलम (असम निवासी), पापा शेख, अधूरा शिवा कामली (दोनों बुधवार पेठ निवासी) और एक अज्ञात पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शफीउल मूल रूप से असम का रहने वाला है। उसने शादी का वादा करके जनवरी में पीड़िता को असम से अगवा कर लिया था। उसने युवती को बुधवार पेठ के एक वेश्यालय में पांच लाख रुपए में बेच दिया। युवती को दलाल पापा शेख और अधूरा कामली ने धमकाया और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। आरोपी के परिचित एक पुलिस अधिकारी ने युवती पर अप्राकृतिक अत्याचार किया। यह पिछले चार महीनों से चल रहा है। पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भाग निकली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम (पीआईटीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अजीत जाधव मामले की जांच कर रहे हैं।

आईटी सिटी में क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में पांच गिरफ्तार

मुन्ना मुजावर

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड़ क्राइम ब्रांच के एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड ने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट के बीच आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई हिंजेवाड़ी में की गई।गिरफ्तार आरोपियों के नाम अंकुश यशवंत कुशवाह (25), विक्रम ललित झा (25), आयुष कुमार झा (26), गौरव शिवराम ठेंगरी (26, निवासी हिंजवडी), प्रेमकुमार ईश्वरदास राजवानी (52, मध्य प्रदेश) हैं। इस संबंध में पुलिस अधिकारी गणेश मेडगे ने हिंजवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर ज्वाइंट टीमों के बीच क्रिकेट मैच हुआ था। हिंजेवाड़ी की एक हाउसिंग सोसायटी में इस मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उस समय इलाके में छापा मारा जब क्रिकेट मैच चल रहा था। कार्रवाई के दौरान चार लैपटॉप और 18 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी कीमत कुल 1.5 लाख रुपये है। 5,20,610 जब्त किये गये। आरोपियों के पास किसी और के नाम पर पंजीकृत सिम कार्ड पाया गया। हिंजेवाड़ी पुलिस जांच कर रही है।

सोने के बिस्किट चुराने के आरोप में कर्मचारी गिरफ्तार, 1.6 करोड़ रुपये के 20 बिस्किट चोरी

मुन्ना मुजावर

पुणेः एक प्रसिद्ध जौहरी के घर की शिफ्टिंग के लिए बुलाए गए निजी कर्मचारी की सामग्री ले जाते समय

तिजोरी में रखे सोने के बिस्कुट देखकर उसकी आंखें भर आईं। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें उसने अनजाने में 1.6 करोड़ रुपये मूल्य के बीस बिस्कुट चुरा लिए। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, कर्मचारी को हथकड़ी लगा दी है तथा उससे चोरी किए गए बिस्कुट जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है।

इस मामले में गौतम सोलंकी (उम्र 52, निवासी शुक्रवार पेठ) ने खड़क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नेता जी अरुण जाधव (उम्र 33 वर्ष, निवासी निगडी) को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। गौतम सोलंकी एक पेशेवर जौहरी हैं और मध्य क्षेत्र में उनकी जौहरी की दुकान है। वह अपने भाई के साथ मिलकर यह व्यवसाय चलाता है। इस बीच, उन्होंने तिलक रोड पर एक नया अपार्टमेंट खरीद लिया है। इसके चलते शुक्रवारी बाजार से घर को नई जगह शिफ्ट करने की शुरुआत हो जाती है। नेताजी जाधव को साहित्य परिवहन के कार्य के लिए बुलाया गया था। सोलंकी के पास पुश्तैनी खजाना है। उसके छोटे भाई ने तिजोरी में एक सोने का बिस्किट रखा था। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तिजोरी का दरवाजा हटा दिया गया था क्योंकि सामग्री ले जाते समय वह लिफ्ट में फिट नहीं हो पा रहा था।

तभी नेताजी ने देखा कि एक छोटे से डिब्बे में बिस्कुट रखे हुए थे। उसने 1.6 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट चुरा लिए और शिकायतकर्ता के परिवार की नजर बचाकर मौके से भाग गया।

गूगल पर पता खोजकर चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

मुन्ना मुजावर

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस ने गूगल पर व्यवसायिक कार्यालय का पता खोजकर उसे चुराने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वे चोरी करने के लिए बसों और रिक्शा जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करते थे और अपने मोबाइल फोन भी बंद रखते थे। दोनों के

पास से 2 लाख 98 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। गिरफ्तार चोरों के नाम सलीम सिकंदर शेख (उम्र 58), अजीत अर्जुन पिल्लई (उम्र 42, दोनों वंगानी गोरेगांव, ठाणे जिले के निवासी) हैं। पुलिस के अनुसार, 6 अप्रैल को कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत कोकने चौक की पांचवीं मंजिल पर स्थित एक वाणिज्यिक कार्यालय में चोरी हुई थी। कार्यालय से 36 हजार रुपए चोरी हो गए। अपराध शाखा यूनिट 4 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरविंद पवार और उनकी टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। 11 दिनों में 400 सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई। इससे संदिग्ध आरोपियों के बारे में जानकारी निकाली गई। 20 अप्रैल की रात को पुलिस को कालेवाड़ी में दो संदिग्ध घूमते हुए मिले। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। सलीम और अजीत दोनों के पास से 2.98 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई। आरोपी सराय में हैं। सलीम के खिलाफ मुंबई शहर में चोरी के 62 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, मुंबई शहर में उनके खिलाफ 10 'गैर-जमानती वारंट' जारी किए गए हैं। अजीत के खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं। आरोपी ठाणे जिले के वांगनी का रहने वाला है और चोरी करने के लिए बस से पिंपरी-चिंचवाड़ शहर आता था। अजीत उच्च शिक्षित हैं और गूगल पर व्यावसायिक कार्यालय का पता खोजने में माहिर हैं। बस से उतरने के बाद वे ऑटो रिक्शा लेकर उस स्थान पर जाते थे जहां वे चोरी करते थे। इसके अलावा, जब वे चोरी करने आए तो उन्होंने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं किया।

पुणे में रह रहे 111 पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू

मुन्ना मुजावर

पुणेः वीजा पर भारत आए 111 पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में पुणे में रह रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सख्त फैसले के मद्देनजर पुणे के इन नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वीजा पर भारत आए इन नागरिकों में मुस्लिम, सिंधी और हिंदू समुदाय के लोग शामिल हैं।पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर भड़क उठी है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। वर्तमान में कुल 111 पाकिस्तानी नागरिक पुणे पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में रह रहे हैं। विशेष पुलिस शाखा ने बताया कि 56 महिलाएं और 35 पुरुष दीर्घकालिक वीजा पर भारत आए हैं। विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते ने बताया, 'केंद्र सरकार के आदेश के बाद शहर में सभी पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और उनके वीजा व अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।' केंद्र सरकार की घोषणा के बाद, अब तक तीन पाकिस्तानी नागरिकों ने पुणे पुलिस के विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) से 'निकास' प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और वे जल्द ही भारत छोड़ देंगे। शेष नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। इस बीच, पुलिस प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने तथा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि, स्थानीय पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

रंजन कुमार शर्मा, संयुक्त पुलिस आयुक्त

डिजिटल गिरफ्तारी के डर से बैंक में FD जमा कराने पहुंची महिला, अधिकारियों की सतर्कता से धोखाधड़ी टली

मुन्ना मुजावर

पिंपरीः अपराधियों के एक गिरोह ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी और दावा किया कि उसने अपने क्रेडिट कार्ड पर ऋण लिया है और उसे भुगतान करने के लिए कहा। डरी-सहमी महिला जब बैंक पहुंची तो बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूछताछ के बाद धोखाधड़ी के प्रयास का पता चला। यह घटना 28 और 29 अक्टूबर 2024 के बीच सांगवी में घटित हुई।

इस संबंध में 71 वर्षीय महिला ने सांगवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विजय पाटिल, संदीप राव, दीपर्निता मुंशीकर और एक अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला का बेटा विदेश में रहता है और महिला सांगवी में अकेली रहती है। आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता को बुजुर्ग महिला बताया।

आपने अपने क्रेडिट कार्ड से साढ़े तीन लाख का लोन लिया है। बुजुर्ग व्यक्ति को बताया गया कि कर्ज के कारण अदालत में मामला दायर किया गया है। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी बुजुर्ग महिला से फोन पर संपर्क किया। आपके ऋण मामले की जांच चल रही है। मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपी ने वृद्ध महिला को धमकाते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपराध बंद करने के लिए बैंक को पैसे दे दो।

पति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा; अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण बना; ससुराल वालों को छह महीने की कैद

मुन्ना मुजावर

पुणेः एक महिला की मौत के लिए गैर इरादतन हत्या के एक मामले में पति को दस साल की जेल और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। ससुराल वालों को छह महीने की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 500 प्रत्येक. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.आई.पेरुमपल्ली ने इस संबंध में आदेश दिए। सजा पाने वालों के नाम हैं पति प्रशांत संपत कोंडे (उम्र 42), ससुर संपत बाबूराव कोंडे (उम्र 75), और सास सुरेखा संपत कोंडे (उम्र 67, निवासी केलवाडे, ताल. भोर, जिला पुणे)। ज्योति प्रशांत कोंडे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ज्योति ने 29 दिसंबर 2014 को अपने घर में खुद पर रैकून डाल लिया था। उसके पति प्रशांत ने उस पर जलती हुई लकड़ी फेंकी जिससे वह गंभीर रूप से जल गई थी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ज्योति ने मृत्युशय्या पर बयान दिया। तदनुसार, पति प्रशांत, ससुर संपत और सास सुरेखा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। सरकारी वकील प्रदीप गहलोत ने मामले की पैरवी की। सरकारी वकील गहलोत ने इस अपराध के लिए अधिकतम सजा की मांग की, क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है। अदालत ने गवाही और साक्ष्य को स्वीकार करते हुए पति को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा सास और ससुर को पुत्रवधू को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के अपराध में छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राजगढ़ पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक शाहुराव साल्वे ने मामले की जांच की। पुलिस निरीक्षक संतोष घोलवे, पुलिस उप-निरीक्षक विद्याधर निचित और हवलदार साहेबराव बाबर ने अदालती कार्यवाही में सहायता की।

यह दैनिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, युनिट नं. 4- ग्राऊंड फ्लोर, एन के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नीयर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं. 2, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400 063 से छपवाकर, रूम नं. ३६१, जाकिर अली चॉल, स्कॉटर कॉलोनी, जोगेश्वरी (पूर्व),मुंबई ४०० ०६० से प्रकाशित. संपादक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख मो.: ९९३००२६९४२ / ९९३००२६९४३
कार्यकारी संपादक - विक्रम सेन email -fightagainstcriminal2016@gmail.com RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 सभी पद अवैतनिक है, (विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा)